न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/431

प्रकरण संख्या 188/22

अनवान

1. श्रीमती कमला बाई पत्नि पुरूषोत्तम ब्राह्मण निवासी पानेरियों की मादडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राज0।
2. श्री मांगीलाल पिता हवा उर्फ सवा गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री कालु लाल पिता गंगाराम जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री उंकार पिता गंगाराम जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री सुरेश पिता वरदा जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री इन्द्रमल पिता पेमा जी जाट निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री किशन पिता दियाराम गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्री उंकार पिता हरिराम जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्री डालु पिता प्रताप जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्री शंकर पिता दयाराम जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. श्री बाबु पिता नारायण जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
10. श्री रामा पिता पेमा जी गाडरी निवासी शोपुरा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 11.02.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खरडोदा पटवार मण्डल बरोडीया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–2081 खाता नम्बर नया 40 की आराजी नम्बर 1055, 1056, 1057, 1083, 1084, 1085, 1158, 1163, 1164, 1165, किता 10 रकबा 1.8500 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं उक्त कुलिया भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित है।
2. यह कि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्त होकर स्वयं अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं तथा उक्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम है। उक्त वर्णित भूमि के पडौस में विपक्षीगणों की भूमि है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद रहता है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि में दखलंदाजी करते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि उक्त भूमि की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढी कराई जावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4, 6 से 8, 10 के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये चुके है। विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरडोदा, पटवार हल्का बरोड़ीया तहसील भीण्डर में जमाबंदी संवत् 2078–2081 की खाता नम्बर नया 40 की आराजी नम्बर 1055, 1056, 1057, 1083, 1084, 1085, 1158, 1163, 1164, 1165, किता 10 रकबा 1.8500 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.03 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सुनाया गया।